

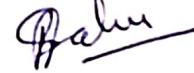
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय, महानदी भवन ::
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला- रायपुर-492002
-:: आदेश ::-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक **10 MAY 2024**

क्रमांक एफ 17-08/2024/55::राज्य शासन एतद्वारा गुरुकुल नर्सिंग कॉलेज पत्थलगांव में प्रस्तावित नवीन बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम 60 सीट के साथ प्रारंभ करने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान करता है :-

1. संस्था द्वारा इंडियन नर्सिंग कौंसिल/राज्य शासन के नियमों/मापदण्डों का पालन किया जायेगा।
2. केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश/पठन-पाठन फीस निर्धारण इत्यादि के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देशों का गुरुकुल नर्सिंग कॉलेज पत्थलगांव द्वारा पालन किया जावेगा।
3. उक्त संस्था, छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, रायपुर (छ.ग.) से संबंधिता प्राप्त करने के उपरांत ही उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,



(रेखा साहू)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 17-8/2024/55,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक **10 MAY 2024**

- 1 विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
- 2 निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
- 3 सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवां तल, एन.बी.सी.सी. सेन्टर, प्लॉट नं.-2, कम्युनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020,
- 4 कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर,
- 5 आयुक्त/संचालक, चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
- 6 संचालक, गुरुकुल नर्सिंग कॉलेज, जशपुर रोड, पत्थलगांव (छ.ग.) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 7 आदेश फोल्डर हेतु।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग